



AGRICULTURAL RESEARCH SUB STATION, DIGGI (TONK)
(SKN AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER-JAIPUR)

कृषि अनुसंधान उप-केन्द्र, डिग्गी
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर

R. K. Meena
Officer Incharge

Mobile No. 9910993608
Email-incharge.arss.diggi@sknau.ac.in

No. F ()/Estt/Tender/Diggi/2026-27/148-153

Date: 28.07.2026

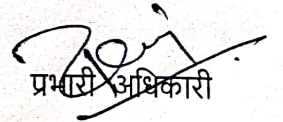
खुली निविदा सूचना

इस केंद्र पर बीज प्रसंस्करण एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति की निविदाएं दिनांक 07-08-2026 साँय 3 बजे तक आमंत्रित की जाती है ऐसी सेवा प्रदाता संस्था / फर्म / कम्पनी / सोसायटी जिन्हे सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करवाने का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से रु. 500 /- नकद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है एवं इसे वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in व www.sknau.ac.in पर देखा जा सकता है। निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

प्रतिलिपी सूचनार्थ :-

प्रभारी अधिकारी

- 1 श्रीमान निदेशक, RARI / संयोजक TAP समिति RARI, दुर्गापुरा।
- 2 श्रीमान वित्त नियंत्रक, SKNAU, जोबनेर को भेजकर निवेदन है की नियत दिनांक 10.08.2026 को प्रातः 11 बजे अपना प्रतिनिधि RARI, दुर्गापुरा भेजने का श्रम करे।
- 3 श्रीमान प्रभारी, CIMCA, SKNAU, जोबनेर।
- 4 श्रीमान कार्यकारी निदेशक, राजस्थान संवाद को भेजकर लेख है की इस निविदा को 8*6 साइज के कॉलम में समाचार पत्र में विज्ञापित करवाने का श्रम करे।
- 5 कार्यालय सूचना पट्ट।
- 6 टेडर फाइल।


प्रभारी अधिकारी



कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी (टोंक)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

①

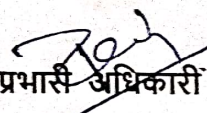
NO.F() / Tender / ARSS/ Diggi /2026-27/148-153 date 28.07.2026

बीज प्रसंस्करण एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति की निविदा सूचना।

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) द्वारा कृषि कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुमती पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मों से निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹)	निविदा शुल्क (₹)	निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि समय एवं स्थान
1.	बीज प्रसंस्करण एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति	7.0	20000 /-	500 /-	07.08.2026 सायं 3 बजे तक	10.08.2026 प्रातः 11 बजे निदेशक राज कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर

निविदा प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति (bid security) के रु 20000 /- डी.डी./बैंकर चैक प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के कार्यालय में दिनांक 07.08.2026 समय सायं 3 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होंगे ।


प्रभारी अधिकारी

②

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी (टोंक)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

कार्य की अनुमानित लागत — 7.0 लाख

निविदा प्रपत्र शुल्क — रु. 500/-

बोली प्रतिभूति (bid security)— 20000

निविदा जमा कराने

की अन्तिम तिथि 07.08.2026

सांय 3.00 बजे तक

निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,

1. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाइन, मोबाईल व ई-मेल सहित
2. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर
3. किसको संबोधित किया गया — प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक)
4. निविदा सूचना संदर्भ दिनांक
5. निविदा प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) रु. 20000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या कमश: दिनांक प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के पक्ष में देय। प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) में भौतिक रूप से जमा करा दी है।
6. हम प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ... NO.F() / Tender / ARSS/ Diggi /2026-27/ दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में दर्शाये गये कार्य संबंधी दरें सभी करें व आनुषंगिक प्रभारों सहित अंकित है।
8. सभी कार्यों के लिए केन्द्र की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी।
9. प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।
10. निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है, जो तकनीकी बिड खोलने की तिथि को वैध हो। प्रपत्र "र" संलग्न है।
11. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'स') संलग्न है।

22

12. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'द') संलग्न है।
13. निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रपत्र "र" संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

24/

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी (टोंक)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

५

बीज प्रसंस्करण एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति की निविदा

बीज प्रसंस्करण एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति की निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म / कम्पनी / सोसायटी जिन्हें सेवाप्रदाता के रूप में कार्य करवाने का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं इसे वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in, and www.sknaau.ac.in पर देखा जा सकता है। बोली प्रत्याभूति (bid security) का डी.डी./बी.सी. दिनांक 07.08.2026 सांय 3.00 बजे तक प्रभारी अधिकारी उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है।

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता:-

1. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर 14.00 लाख हो। इस हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंस शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
2. सेवा प्रदाता फर्म का श्रम विभाग राज्य/केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है।
3. फर्म/कम्पनी द्वारा जो कि विगत 3 वर्षों में सरकारी विभाग/उपक्रम में कृषि कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति कार्यानुभव अनिवार्य है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न करना वांछित है।
4. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का के पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर, फैंक्स नम्बर सहित होना अनिवार्य है।
5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
6. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधी एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
7. श्रम विभाग एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तें लागू होंगी।

B. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना

निविदा प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) रु. 20000/-का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के कार्यालय में जमा करवाना है।

C. निविदा की शर्तें

1. ठेकेदार को प्रतिदिन श्रमिकों को उपलब्ध करवाते समय फार्म पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। सभी कार्य कार्यालय समय में ही करवाने होंगे।
2. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। अमानत राशि व धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. ठेकेदार द्वारा केन्द्र में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम पर भुगतान नहीं होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित न्यूनतम दर एवं अन्य के आनुपातिक दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी

22/

परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के कार्यालय से ठेकेदार को श्रमिकों का भुगतान करना होगा। ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्येनजर रखते हुए निविदा में विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दे।

4. विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा।
5. फार्म पर श्रमिकों की प्रतिदिन कराई गई उपलब्धता की संख्या व फार्म पर लगने वाले श्रमिकों के नाम की सूची फार्म कार्यालय में हस्ताक्षर व फर्म की मोहर लगा कर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है।
6. श्रमिकों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।
7. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा केन्द्र में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) को ठेकेदार से होगा।
8. ठेकेदार को यथासंभव एक दिन पहले, दूसरे दिन की कुल श्रमिकों की कार्य हेतु मांग के अनुसार उपलब्धता हेतु सायं 4.30 बजे तक इन्चार्ज द्वारा सूचित कर दिया जावेगा। उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगें।
9. ठेकेदार कार्य की महत्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो केन्द्र अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करवायेगा। ठेकेदार द्वारा समय पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नहीं करायेगा तो प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा जो अतिरिक्त अधिक राशि का भुगतान उस दिन श्रमिकों को देय होगा उस अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
10. श्रमिकों को कृषि कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता देय ठेके की अवधि RTPPR 2012 एवं RTPPR 2013 में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी।
11. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर हो होगा।
12. न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
13. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो सभी कार्यों के लिए प्राप्त दरों के औसत में न्यूनतम प्राप्त दरों पर निर्णय लिया जायेगा।

44

तथा निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

6

14. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में केन्द्र में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। केन्द्र में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक केन्द्र के सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा फार्म पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होंगे।
15. यदि निविदादाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि केन्द्र उसकी अमानत राशि में से पैनेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तों को न मानने पर निविदादाता को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
16. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि, प्रायोगिक कार्य, चौकीदारी आदि कार्यों की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो केन्द्र उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि तीन बार पुनरावृत्ति होती है तो प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्री (टोंक) को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
17. निविदा फार्म में दर्शाये गये कार्यों का विभाजन नहीं किये जाने के उद्देश्य से अलग अलग कार्यों के लिए निविदादाता द्वारा जो दर प्रस्तुत की जावेगी उनके न्यूनतम दर का आकलन उस निविदा के समस्त सम्बन्धित कार्यों हेतु दी गई दर के औसत के आधार पर किया जायेगा।
18. संस्थान द्वारा निर्धारित/ अनुमानित दर (जो निविदा फार्म में दर्शाई गई है) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
19. अन्य शर्तें एवं नियम RTPPA, 2012, RTPPR, 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होंगे।
20. शर्तें/नियम स्वीकार करने के रूप में हस्ताक्षर एवं मोहर लगा दी गई है।
21. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
22. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण

421

प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

7

23. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
24. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
25. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
26. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पृष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
27. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर डिस्ट्रे बोर्डस लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाइन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
28. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
29. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
30. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
31. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने,

42

नोटिस, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा। ⑧

32. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फार्म में कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
33. यदि संवेदन द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी एवं नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार कराने की कार्यवाही करेगी।
34. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति में मददेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबन्धित संवेदक का होगा।
35. उपापन संस्था संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

दिनांक —————

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय

स्थान —————

स्पष्ट नाम मय फर्म की रबड मोहर

२२

I. निविदा का खोला जाना

9

निविदा प्रपत्रों को दिनांक 10.08.2026 दोपहर 11:00 बजे कय समिति द्वारा एवं उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

II. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-आर्डर प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के नाम डिग्गी में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति (bid Security) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

III. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना पर भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारु रूप से हो सके।

IV. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) को होंगे। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। पर्याप्त बिड् सिक्यूरिटी, के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएंगे। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation)/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार संस्थान को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

V. अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र "ब" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि 7.0 लाख प्रतिवर्ष है। केन्द्र द्वारा आयकर स्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

VI. दर संविदा अनुबंध की अवधि

दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से 03 माह बढ़ाई जा सकती है।

VII. अनुबंध

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रू0 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की Risk

25/

and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढ़ाई/घटाई जा सकती है। (19)

VIII. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रभारी अधिकारी कार्यालय पर प्रस्तुत करने होंगे जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले केन्द्र द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT/ चैक द्वारा किया जाएगा।

IX. भुगतान की जिम्मेदारी

निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदाता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यों के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

X. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

XI. कार्यादेश का निरस्तीकरण

प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

XII. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी।

XIII. निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

XIV. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

XV. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता

है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्वधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

XVI. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

XVII. हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-

44

- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

XVIII.

उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील

8/2

प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

13

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-य) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

27

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। (14)

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्रारूप -

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - 'य') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस -

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया -

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय

22/

अपील प्राधिकारी,—

(15)

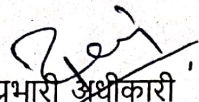
(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XIX. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, मालपुरा (राजस्थान) होगा।


प्रभारी अधिकारी

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रु.लाखों में)
1	2023-24	
2	2024-25	
3	2025-26	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक :

अंकक्षक/सनदी लेखाकार का

नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

र/

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

24/

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..... of

Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

- (i) Name of the appellant
- (ii) Official Address, if any
- (iii) Residential address

2. Name and address of the respondent (s) :

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.

6. Ground of appeal

.....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer

.....

Place

Date

.....
Appellant's Signature

2/7

प्रपत्र - 'र'

बोली दाता-संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण का विवरण

कसं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी (टोंक)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

20

वित्तीय निविदा प्रपत्र "ब"

मैं/हम निविदा में दर्शाये गये कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहे हैं।

क्र.सं.	कृषि कार्य	केन्द्र द्वारा अनुमानित दर	सेवाप्रदाता एजेंसी/फर्म द्वारा दी जाने वाली दरें
1.	लदाई/उतराई व स्टोर में थप्पी लगाना अ. बोरी ब. कट्टा	12 रुपये प्रति नग 7 रुपये प्रति नग	
2.	गोदाम से माल ग्रेडर तक पहुंचाकर ग्रेडिंग करना बोरिया भरना एवं स्थल पर थप्पी लगाना	40 रुपये प्रति बोरी	
3.	ग्रेडिंग माल में दवा मिलाकर थेलियों, बोरियों व कट्टों में पैकिंग करके तोलना व थप्पी लगाना	25 रुपये प्रति क्विंटल	
4	बीज को बरसाकर यथा स्थान पर रखना	30 रुपये प्रति बोरी	

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1		अकुशल	259 रुपये प्रतिदिन		*13 प्रतिशत	*3.25 प्रतिशत		
2		अर्द्ध कुशल	271 रुपये प्रतिदिन					
3		कुशल	283 रुपये प्रतिदिन					

*ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की दर मानव संसाधन की अनुमानित संख्या पर प्रत्येक पर समान रूप से लागू होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता